



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092021-229458
CG-DL-E-07092021-229458

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]
No. 368]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2021

फा. सं. आईसीडब्ल्यूए/551/29/2009.—विश्व मामलों की भारतीय परिषद् अधिनियम 2001 की धारा 15 (1) तथा धारा 7 (2) (c), विश्व मामलों की भारतीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम 2003 के साथ पठित, के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत गठित गवर्निंग काउंसिल एतद्वारा श्रीमती विजय ठाकुर सिंह (भारतीय विदेश सेवा-1985), को महानिदेशक, पदेन, सदस्य सचिव, जो भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष है, के रूप में 24 जुलाई, 2021 (पूर्वाहन) से नियुक्त करती है।

सौमेन बागची, उप महानिदेशक, (आई.सी.डब्ल्यू.ए.)
एवं संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय

[विज्ञापन-III/4/असा./226A/2021-22]

INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2021

F. No. ICWA/551/29/2009.—In terms of Section 7 (2) (c) and Section 15 (1) of the Indian Council of World Affairs Act, 2001, read with the Indian Council of World Affairs (Amendment) Act, 2003, the Governing Council, constituted under Section 7 (2) of the Act, is pleased to appoint Smt. Vijay Thakur Singh (IFS : 1985) as the Director General & ex-officio Member Secretary of the Council, ICWA, equivalent to the rank of Secretary to the Government of India, with effect from the forenoon of 24th July, 2021.

SOUMEN BAGCHI, Dy. Director General, ICWA
& Jt. Secy., Ministry of External Affairs

[ADVT.-III/4/Exty./226A/2021-22]